कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./3087 बिलासपुर, दिनांक 30/12/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : Diversion of Forest land for non-forest pupose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Janjgir-Champa Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPs & 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will ivolve 26 district across the State", Area - 1.685 ha. Regarding.
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43320/2019

संदर्भ : आपका पत्र क्र./विविध/1992 दिनांक 06.11.2020 एवं वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल का पत्र क्र./तक./8009, दिनांक 15.12.2020

–00–

विषयांतर्गत लेख है कि कोरबा जिले के जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य Optical Fiber Cable Line हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक F-5-29/2020/10-2 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा के द्वारा प्रेषित किया गया है जिसे अनुसंशा सहित द्वितीय चरण स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्रं./तक./3088 बिलासपुर/दिनांक 30/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, जांजगीर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाइन रायपुर छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स – 245622 ई–मेल– **dfo-jchampa.cg@gov.in**

क्रमांक/तक.अधि./ 8003 तक. अधि. चांपा/दिनांक 15/12/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) 17/12/20

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जांजगीर–चांपा जिला के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत ''भारतनेट प्रोजेक्ट फेज– **II**'' के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.685 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।
पंजीयन कमांक **FP/CG/ OFC/43320/2019**

संदर्भ– अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध/वं.स.अ) का पत्र क./भू–प्रबंध/विविध/115–839/1992 दिनांक 06.11.2020

––''––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार विषयांकित प्रस्ताव की प्रथम चरण स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 03.11.2020 को जारी की गई है।

अतः प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के परिपालन में संबंधित संस्थान से प्राप्त कर बिन्दुवार पृथक–पृथक वचन पत्रों सहित पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार आपकी ओर संप्रेषित है।

1.	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
2.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जावेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं की जावेगी।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
3.	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
4.	उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर एवं 1.65 मीटर गहराई होगी। वन्यप्राणी तथा बायो डाइवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय अधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदुरों द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। मुख्य वनसंरक्षक क्रमांक 8947 दिनांक 22-12-2020 बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)
5.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सकें तथा खोदे जा रहे वनभूमि की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

6.	उपरोक्त लाइन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण के बाहर सड़क किनारे तथा मौजुदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
7.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात उपयोग किये गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
8.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
9.	आवेदक संस्थान, रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
10.	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
11.	वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिमय 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
13.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग वदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
14.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (**Flora & Fauna**) के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन की अभिलेख औपचारिक अनुमोदन हेतु आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार, 04 प्रतियों में।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –1

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ–5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–1:

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होंगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –2

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक / 5–29 / 2020 / 10–2 दिनांक 03.11.2020
द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–2:

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जावेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –3

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक / 5–29 / 2020 / 10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–3:

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –4

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020
द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–4:

उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर एवं 1.65 मीटर गहराई होगी। वन्यप्राणी तथा बायो डाइवर्सिटी को नुकसान न पहुचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय अधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –5

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–5:

स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हों सकें तथा खोदे जा रहे वनभूमि की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –6

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक / 5–29 / 2020 / 10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–6:

उपरोक्त लाइन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –6

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक / 5–29 / 2020 / 10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–6:

उपरोक्त लाइन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -7

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक / 5-29 / 2020 / 10-2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-7:

आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात उपयोग किये गए भूमि का उपयोग / रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.) Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –8

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–8:

आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771—4014158 फैक्स नं. 0771—4066205

अनुलग्नक —9

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5—29/2020/10—2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.—9:

आवेदक संस्थान, रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –10

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020
द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–10:

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –11

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020
द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–11:

वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशनिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –12

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–12:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शाशन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर, को प्रेषित करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है ।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
Chhattisgarh Infotech Promotion Society
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –13

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–13:

बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को निवेदन करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

अनुलग्नक –14

वचन पत्र

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/5–29/2020/10–2 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.–14:

क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion So